

-वार्षिक अचल सम्पत्ति की विवरणी/

ANNUAL IMMOVABLE PROPERTY RETURN

वर्ष के लिए अचल सम्पत्ति का विवरण/Statement of immovable property for the year -2016

1. अधिकारी का पूरा नाम तथा सेवा जिससे संबंध रखता है ;
Name of Officer (in full) and service to which the officer belongs
2. वर्तमान पद/Present Post held ;
3. वर्तमान वेतन/Present Pay ;

जिला, उपमण्डल, तालुक व गांव जहां सम्पत्ति स्थित है Name of District, Sub-Division, Taluk and village in which property is situated	नाम और सम्पत्ति की विस्तृत जानकारी Name and details of property		*वर्तमान मूल्य Present Value	यदि सम्पत्ति अपने नाम से न हो तो उनका नाम व सरकारी कर्मचारी से सम्बन्ध दें, जिसके नाम से है If not in own name state in whose name held and his/her relationship to the Government Servant	भूमि खरीदकर, लीज पर मॉर्टगेज, पैतृक, उपहार या अन्य किस तरीके से अर्जित की गई है। अर्जन की तिथि व जिससे अर्जित की गई है उनका नाम दें How acquired whether by purchases, lease*, mortgage inheritance, gift, or otherwise, with date of acquisition and name from whom acquired	सम्पत्ति से होने वाली वार्षिक आय Annual Income from the property	टिप्पणी Remarks
	आवास और अन्य भवन Housing and other buildings	भूमि Lands					

हस्ताक्षर/Signature _____

दिनांक/Date _____

जो खण्ड लागू न हो उन्हें काट दें/Inapplicable clause to be struck out.

* यदि सम्पत्ति का सही मूल्य पता न हो तो उस स्थिति में उसकी वर्तमान स्थिति के अनुसार अनुमानित मूल्य दिया जा सकता है।

In case where it is not possible to assess the value accurately the approximate value in relation to present condition may be indicated.

* अल्पावधि लीज भी शामिल करें/Includes short-term lease also.

* **विगत वर्ष की भान्ति कोई बदलाव या परिवर्धन** जैसे वाक्य का प्रयोग न करते हुए समस्त विस्तृत विवरण दें।

The wording 'No Change or No addition opt as in previous year' may be avoided and all details filled up.

नोट: केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम 1955 (अब सी.सी.एस. (कन्डक्ट) नियम 1964) के अनुसार वर्ग-I व वर्ग-II (समूह 'ए' और 'बी') के सभी सदस्यों को प्रथम

नियुक्ति वर्ष और उसके बाद हर वर्ष बारह माह के अन्तराल पर समस्त अचल सम्पत्तियों से संबंधित घोषणा पत्र देना होगा, चाहे वह अपने नाम की, अर्जित, पैतृक

या अपने नाम पर या अपने परिवार के किसी सदस्य या अन्य व्यक्ति आदि के नाम पर लीज या मॉर्टगेज कराई गई हो।

Note: The declaration form is required to be filled in and submitted by every member of Class I and Class II (Group 'A' and Group 'B') services under Ruled

15(3) of the Central Civil Services (Conduct) Rules 1955 (now Rule 18(1) of the CCS (Conduct) Rules 1964), on the first appointment to the service

and thereafter at the interval of every twelve months, giving particulars of all immovable property owned, acquired or inherited by him or held by him

on lease or mortgage, either in his own name or in the name of any members of his family or in the name of any other person.